न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 29 / 2024

अनवान : –

1. रेहान उम्र 10 वर्ष
2. रिजवान उम्र 8 वर्ष
3. अन्सरा

} पुत्र व पुत्रीयान जावेद जाति कुम्हार मुसलमान निवासीगण नोहर हाल फेफाना नाबालिग जरिये कुदरती बली माता नूरसलाम पत्नी जावेद जाति मुसलमान

– सायलान

बनाम्

1. जावेद पुत्र लियाकत जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 28/01/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 4 के प0न0 314 / 445 मु0न0 36 के किला न0 17 ता 25 की 2.5300 हैक्ट भूमि प0न0 314 / 446 मु0न0 39 के किला न0 1 ता 4 की 1.0120 हैक्ट भूमि कुल 3.5420 हैक्ट भूमि जिसमें सायलान के दादा लियाकत अली पुत्र साहबदीन के नाम 1 / 4 हिस्सा भूमि दर्ज है।

लियाकत अली पुत्र साहबदीन का देहान्त हो चुका है। लियाकत अली के जायज वारिसान सायलान व प्रतिवादीगण है जो की अपने हक अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 नशे का आदि है जो सायलान व माता के साथ सदैव नशा की पूर्ति हेतु रूपयों की मांग करता है तथा मारपीट करता है तथा अपने दुर्व्यसनों की पूर्ति के लिए वाद भूमि को बेचान करने पर उतारू है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी इसलिए सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी संख्या 1 रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता स0 4 / 6 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की प्रार्थी द्वारा सजरा खानदान अधूरा दिखा गया है लियाकत के कुल 9 वारिस है लेकिन दावा में लियाकत की पत्नी को पक्षकार नही बनाया गया है दावा में कुल 8 वारिसान को ही पक्षकार बनाया गया है दावा में 1/7 हिस्सा दर्ज कर रखा है लेकिन 1/36 हिस्सा बनता है। प्राथी का प्रार्थना पत्र व दावा दोनो ही चलेन योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि वर्तमान में लियाकत अल के नाम दर्ज है लियाकत अली पुत्र साहबदीन का देहान्त हो चुका है। लियाकत अली के जायज वारिसान सायलान व प्रतिवादीगण है जो की अपने हक अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 नशे का आदि है जो सायलान व माता के साथ सदैव नशा की पूर्ति हेतु रूपयों की मांग करता है तथा मारपीट करता है तथा अपने दुर्व्यसनों की पूर्ति के लिए वाद भूमि को बेचान करने पर उतारू है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी इसलिए सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय न करे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की मुस्लिम विधि में पिता के जिवित रहते उनकी संतान का कोई हक हिस्सा नही होता है तथा प्रार्थी द्वारा सजरा खानदान अधूरा दिखा गया है लियाकत के कुल 9 वारिस है लेकिन दावा में लियाकत की पत्नी को पक्षकार नही बनाया गया है दावा में कुल 8 वारिसान को ही पक्षकार बनाया गया है दावा में 1/7 हिस्सा दर्ज कर रखा है लेकिन 1/36 हिस्सा बनता है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। प्रार्थना पत्र अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज जो की वादी का पिता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि मुस्लिम विधि में पिता के जिवित रहते उनकी संतान का कोई हक हिस्सा नही होता है तथा प्रार्थी द्वारा सजरा खानदान अधूरा दिखा गया है लियाकत के कुल 9 वारिस है लेकिन दावा में लियाकत की पत्नी को पक्षकार नही बनाया गया है दावा में कुल 8 वारिसान को ही पक्षकार बनाया गया है दावा में 1/7 हिस्सा दर्ज कर रखा है लेकिन 1/36 हिस्सा बनता है [illegible] मूल वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्धारित होने है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि में हमारा जन्मजात हक हिस्सा है अतः प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहनबय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थीगण को अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता स0 4/6 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि की अप्रार्थी संख्या 1 वाद भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:29:08 IST
Reason: SelfAttested